शिक्षा का अधिकार

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011

दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्रमांक/राशिक/ईएण्डआर/2024 / 1549 **भोपाल, दिनांक** 22/03/2024

1. **कलेक्टर,**
   समस्त जिले (म.प्र.)

2. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी,**
   जिला पंचायत, समस्त जिले (म.प्र.)

3. **आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी,**
   समस्त नगर निगम / नगर पालिका परिषद / नगर परिषद म0प्र0

विषय:- नवीन शिक्षा सत्र 2024-25 में नामाकंन एवं पुर्नाभ्यास संबंधी निर्देश।

संदर्भ-:- म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग वल्लभ भवन का आदेश क्रमांक 437/1873064/2024/20-2 भोपाल दिनांक 11.3.2024

प्रारभिक एवं माध्यमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण का मुख्य उद्देश्य कक्षा 1 से 12 तक शतप्रतिशत विद्यार्थियो का विद्यालय में प्रवेश एवं गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करना है। वर्ष 2024-25 का अकादमिक सत्र 1 अप्रैल 2024 से प्रारंभ किया जा रहा है, इसका उद्देश्य यह है, कि सत्र 2023-24 में कक्षा 1 से 7 तक एवं कक्षा 8 से 11 तक अध्ययनरत समस्त छात्र-छात्राओ की कक्षा 2 से 8 एवं 9 से 12 में नामाकन की कार्यवाही 1 अप्रैल को पूर्ण करली जाये। कक्षा 2 से 12 तक नामांकित छात्रो को समग्र शिक्षा पोर्टल पर अद्यतन करने की कार्यवाही 10 अप्रैल तक पूर्ण की जाये। सत्र के प्रारंभ में ही विद्यार्थियों में विज्ञान, गणित एवं भाषा विषय की कठिन अवधारणाओं का अभ्यास कराया जा सके जिससे माह जून से पाठ्यक्रम अनुसार पढाई में कोई कठिनाई न हो। इस व्यवस्था से छात्रों में अध्ययन-अध्यापन के प्रति निरंतरता बनी रहेगी। अतः 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक निम्नानुसार गतिविधिया की जाये।

2. परीक्षा/मूल्यांकन परिणाम की घोषणा -

- कक्षा 1 से **4** एवं 6 से *7* की स्थानीय परीक्षा के परीक्षा परिणाम दिनांक 28 मार्च के पूर्व घोषित किये जाये। कक्षा 5 वी तथा 8 वी के परीक्षा **परिणाम** की **घोषणा** अप्रैल माह के तृतीय सप्ताह में संभावित है। सत्र 2023-24 में कक्षा 5 वी एवं 8 वी में अध्ययनरत छात्रों को 1 अप्रैल 2024 से आगामी कक्षा में प्रावधिक प्रवेश दिया जाये।

3. नवीन शिक्षा सत्र का प्रचार-प्रसार -

- जिला, ब्लॉक एवं स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए जिससे जनसमुदाय, पालकों एवं विद्यार्थियों को नवीन शिक्षा सत्र 1 अप्रैल से प्रारंभ होने की जानकारी हो, तथा विद्यार्थियों की शतप्रतिशत उपस्थिति हो। स्थानीय समाचार पत्रो आदि के माध्यम से नवीन शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने एवं आयोजित होने वाली गतिविधियों का आदर्श आचार संहिता को ध्यान में रखते हुये प्रचार प्रसार किया जाये।

- **बाल सभा का आयोजन**:- 01 अप्रैल को प्रत्येक विद्यालय यथा प्राथमिक/माध्यामिक विद्यालयों में विशेष बाल सभा का आयोजन किया जाये, जिसमें उपस्थित अभिभावकों को अप्रैल माह में छात्रों के नामांकन, उपस्थिति, छात्रों के उपलब्धि स्तर तथा शासन के समय-समय पर जारी नवीन शैक्षणिक निर्देशों के साथ-साथ अध्ययन-अध्यापन की प्रस्तावित कार्य योजना पर विस्तृत चर्चा की जाये।

- **पालकों को छात्रों की प्रगति से अवगत कराना**:- अप्रैल के प्रथम सप्ताह यथा संभव 3 अप्रैल से 13 अप्रैल के मध्य स्थानीय परिस्थिति (हाट बाजार के दिन) अनुसार विद्यार्थी के माता एवं पिता, दोनो को आमंत्रित किया जाये। प्रत्येक पालक से बच्चे की विगत वर्ष के प्रदर्शन के आधार पर शैक्षणिक स्थिति (शैक्षणिक स्तर, विद्यार्थी की रूची एवं नियमित उपस्थिति) के साथ-साथ विद्यालय की शैक्षणिक स्थिति, एवं नवीन शैक्षणिक सत्र के प्रथम माह में आयोजित होने वाली गतिविधियों से अवगत कराते हुए उन्हें आवश्यक सहयोग के लिए प्रेरित किया जाये।

4. प्रवेशोत्सव-

- 1 अप्रैल को प्रत्येक प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालय में प्रवेशोत्सव मनाया जायेगा एवं विशेष भोज (मध्यान्ह भोजन) का आयोजन किया जाएगा। विद्यार्थियों का प्रवेश 1 अप्रैल से आरंभ किया जाये, विद्यालय में नवीन प्रवेश लेने वाले छात्रों का शिक्षको के द्वारा तिलक लगाकर स्वागत किया जाये। विद्यालय के वरीष्ठ छात्रो के द्वारा भी कनिष्ठ छात्रों का स्वागत किया जाये ।
- **छात्रावासों में प्रवेश**:- शासन के प्रावधानुसार कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं सर्व शिक्षा अभियान के तहत संचालित छात्रावासों में तथा कक्षा 8 की बालिकाओ को निकटस्थ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (कक्षा 9 से 12) में अथवा जनजातीय कार्य विभाग/अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के छात्रावासों में दर्ज कराया जाये।

5 नामांकन-

- अकादमिक सत्र 2023-24 में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत छात्रों को कक्षा 2 से 9 में प्रवेश दिया जाएगा।
- कक्षा 1 से 8 एवं 9 से 12 में अध्ययनरत छात्रों की जानकारी यथा उम्र माता/ पिता का नाम, जाति, पता, जन्म तिथि कोई परिवर्तन हो तो छात्र से संबंधित आवश्यक दस्तावेज संग्रहित कर समग्र शिक्षा पोर्टल में तदानुसार अद्यतन की कार्यवाही की जाये।
- कक्षा 5वी से 6 वी एवं कक्षा 8 से 9 वी में ट्रांजिशन लॉस को रोकने के लिए कक्षा 5वी एवं 8वी से उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं का अभिलेख (स्थानांतरण प्रमाण पत्र आदि) निकटस्थ माध्यमिक/हाईस्कूल के

प्रधानाध्यापक/प्राचार्य को हस्तांतरित किया जाएगा एवं उसकी जानकारी सबन्धित छात्र एवं उसके पालक को दी जाएगी ताकि उक्त छात्र उन शालाओ में नामांकन करा सके। प्राचार्य हाईस्कूल एवं प्राचार्य हायर सेकेण्डरी द्वारा कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाले छात्रों की ट्रेकिंग की जायेगी। एक परिसर एक शाला बाले विद्यालयों में कक्षा 6 एवं 9 वी में प्रवेश हेतु सूची प्रेषित की जायेगी। स्थानांतरण प्रमाण पत्र (TC) नही।

- ऐसे विद्यार्थी जो स्थानीय शाला में प्रवेश न लेकर स्थानांतरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने पहुँचेगे, उनका पूरा रिकोर्ड रखा जायेगा तथा प्रमाण पत्र देने से पहले उस विद्यार्थी द्वारा कहाँ प्रवेश लिया जा रहा है उसकी प्रविष्टि रजिस्टर में समग्र आई डी के साथ की जायेगी।
- म0प्र0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र क्रमांक 165/1813944/2024/1/मा.आ.प्रा दिनांक 8/2/2024 एवं मानव अधिकार आयोग नई दिल्ली का पत्र क्रमांक D.O. No./R-51/2/2023/PRPP (RU-2) Date 1.1.2024 के संदर्भ में म0प्र0 शासन स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक 421/1876129/2024/20-2 भोपाल दिनांक 6/3/2024 के अनुपालन में ट्रांसजेण्डर बच्चों की शिक्षा हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाये। इसके अंतर्गत इन बच्चों को शिक्षा सुविधा हेतु समावेशी शिक्षा व्यवस्था के साथ-साथ उनमें किसी प्रकार के भेदभाव रोकने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाये। ट्रांसजेण्डर बच्चों को छात्रवृति एवं नि:शुल्क शिक्षा व्यवस्था के लिए भी आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चि की जाये।

6. **अप्रैल माह की शैक्षणिक गतिविधियां:-**

- कक्षा 1 से 8 तक के लिए **अप्रैल** माह में आयोजित की जाने वाली गतिविधियों हेतु राज्य शिक्षा केन्द्र के पाठयक्रम कक्ष से पत्र क्रमांक/पापु/राशिके/2024/703 भोपाल दिनांक 21/3/2024 के माध्यम से विस्तृत निर्देश जारी किये गये है। निर्देशों के अनुसार विद्यालयों में अध्ययन अध्यापन की कार्यवाही की जाये।

7. **कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले बच्चों एवं शाला से बाहर बच्चों का चिन्हांकन -**

7.1 पहली कक्षा में प्रवेश के लिए बच्चों और पालको से सम्पर्क के लिए आगनवाडी केन्द्र एक उपयुक्त जगह है। इसके अतिरिक्त समग्र शिक्षा पोर्टल के माध्यम से 6 की आयु पूर्ण करने वाले बच्चों की सूची के माध्यम से कक्षा 1 में कार्यवाही पूर्ण की जाये।

7.2 सत्र 2022-23 से भारत सरकार द्वारा यू-डाईस के माध्यम से चाइल्ड-वाइज ट्रेकिंग की जा रही है। सत्र 2022-23 में जिन छात्रों की प्रोफाइल यू-डाईस के अंतर्गत दर्ज की गई थी, उन सभी छात्रों के परीक्षा परिणाम के अनुसार सत्र 2023-24 में प्रोफाइल अपडेट किया जाना है। यू-डाईस के अंतर्गत दर्ज सभी छात्रों को PEN (यूनिक कोड) आवंटित किया गया है, PEN नंबर के द्वारा बच्चे को प्रदेश और राष्ट्रिय स्तर पर ट्रैक किया जा सकता है। सत्र 2022-23 में यदि छात्र किसी स्कूल में अध्ययनरत थे और वर्तमान में किसी भी शाला में मेप नहीं है। ऐसे बच्चें ड्राप बॉक्स में चले जाते है।

7.3 ड्राप बॉक्स में स्कूलवार बच्चों की जानकारी उपलब्ध है। अतः जिले स्तर से ड्राप बॉक्स में उपलब्ध बच्चों की संख्या के आधार पर उनका सत्यापन करने हेतु शिक्षकों को जबावदेही सौपी जाये। एक शिक्षक को

अधिकतम 5-10 छात्रों की जबावदेही सौपी जाये जिससे छात्रों के भौतिक सत्यापन का कार्य 10 अप्रैल 2024 तक पूर्ण किया जा सके। ड्राप बॉक्स में उपलब्ध बच्चों के लिए की जाने वाली कार्यवाही का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-1 में संलग्न है।

7.4 सत्र 2024-25 के लिए जिलों के द्वारा प्रबंध पोर्टल पर शाला से बाहर बच्चों की नामवार प्रविष्टि की गई है। उन समस्त छात्रों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाये। यथा छात्र को सीधे विद्यालय में प्रवेश देने हेतु स्कूल का यू-डाईस कोड डालते हुये नामांकित किया जाये।

7.5 सत्र 2024-25 में वार्षिक कार्ययोजना में पलायन करने वाले छात्रों के लिए 12 माह के लिए आवासीय छात्रावास का प्रावधान किया गया है। अतः पलायन करने वाले परिवारों को चिन्हित कर उनके बच्चों को आवासीय सुविधा प्रदान करने हेतु प्रबंध पोर्टल पर छात्रवार जानकारी दिनांक 01 अप्रैल 2024 से दर्ज की जाये। दिनांक 30 अप्रैल 2024 तक प्रबंध पोर्टल पर जितने छात्रों की जानकारी दर्ज होगी उतने ही छात्रों के लिए पलायन छात्रावास की सुविधा हेतु राज्य शिक्षा केन्द्र से स्वीकृति प्रदाय की जा सकेगी।

8. **विभिन्न योजनाओं के तहत पात्र विद्यार्थियों का निर्धारण:-**

प्रवेशित विद्यार्थियों को पात्रता के आधार पर प्रदान की जाने वाली सुविधाएं यथा पाठ्यपुस्तक छात्रवृति साइकिल इत्यादि का **निर्धारण** पोर्टल पर प्रविष्टि उपरात किया जायेगा। समग्र शिक्षा पोर्टल पर डाटा अद्यतन की कार्यवाही पूर्ण की जाये।

वर्तमान में लोक सभा चुनाव हेतु निर्धारित कार्यक्रम एवं आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुये कृपया उपरोक्तानुसार गतिविधियां समय-सीमा में पूर्ण करना सुनिश्चित करे।

(धनराजू एस) 22/3/2024
संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र
भोपाल, दिनांक 22/03/2024

पृ0क्रमांक/राशिक/ईएण्डआर/2024./1450
प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा म0प्र0 शासन की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग म0प्र0 भोपाल।
3. आयुक्त, लोक शिक्षण म0प्र0 भोपाल।
4. आयुक्त, महिला एवं बाल विकास विभाग म0प्र0 भोपाल।
5. आयुक्त, नगरीय विकास एवं पंचायत विभाग म0प्र0 भोपाल।
6. समस्त संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण स्कूल शिक्षा विभाग समस्त संभाग म0प्र0।
7. जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग/प्राचार्य डाईट/जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र समस्त जिले म0प्र0।

संचालक 22/3/2024
राज्य शिक्षा केन्द्र

परिशिष्ट - 1

<u>ड्रॉपबॉक्स छात्रों के संबंध में अपेक्षित कार्यवाही:</u>

1. सत्र 2022-23 में किसी स्कूल/शाला में अध्ययनरत थे और वर्तमान में किसी भी शाला में मैप नहीं है, ऐसे छात्रों को ड्रॉपबॉक्स में चले जाते है। बच्चों के ड्राप बॉक्स में प्रदर्शित होने के 2 कारण है:
   i. स्कूल/शाला स्कूल बंद अथवा मर्ज होने कारण, इस स्कूल में अध्ययनरत छात्र ड्रॉप बॉक्स चले जाते है।
   ii. स्कूल प्रमुख (प्रधानाध्यापक/ प्राचार्य) द्वारा छात्र प्रोफाइल प्रोग्रेशन में स्कूल से बहार मार्क करने की स्थिति में वह छात्र ड्रॉप बॉक्स चले जाते है।
2. यू-डाईस में शाला-वार ड्रॉप बॉक्स वाले छात्रों की संख्या अथवा ड्रॉप बॉक्स वाले छात्रों की सूची निकलने की सुविधा जिला MIS के यूजर पर दी गई है। ड्रॉप बॉक्स वाले छात्रों का सर्वे करने के लिये सूची निकाल कर, शिक्षकों को आवंटित किया जाना है।
3. ड्रॉप बॉक्स वाले छात्रों को ट्रैक करने के पश्चात् निम्नानुसार कार्यवाही की जानी है:
   a. यदि कोई छात्र किसी अन्य स्कूल में प्रवेश लेता है तो ड्रॉप बॉक्स में PEN नंबर के आधार पर छात्र को अध्ययनरत स्कूल में मैप किया जाता है। इस प्रक्रिया पूर्ण करने से वह छात्र ड्रॉप बॉक्स बहार हो जायेगा।
   b. ड्रॉप बॉक्स वाले छात्र की स्कूल में मैप नहीं हो पाने की स्थिति में यू-डाईस में इसका कारण अंकित किया जाना है।
4. स्कूल प्रमुख (प्रधानाध्यापक/ प्राचार्य) किसी भी छात्र को "ड्रॉप आउट" मार्क करने से पूर्व यह सुनिश्चित करे कि छात्र ने कक्षा 12वीं उत्तीण करके शाला से बहार गया है अथवा छात्र ने वास्तव में पढाई छोड़ दी है।
5. जिले के ड्रॉप बॉक्स वाले छात्र भारत सरकार के द्वारा शाला से बाहर बच्चे (Out of School) माने जायेगें, जिससे जिले के साथ साथ प्रदेश की शैक्षिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव प्रदर्शित होगा।